(125)

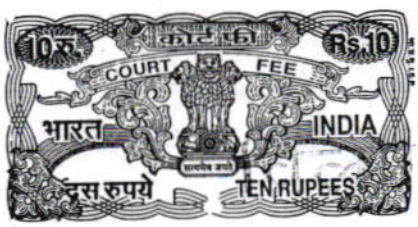

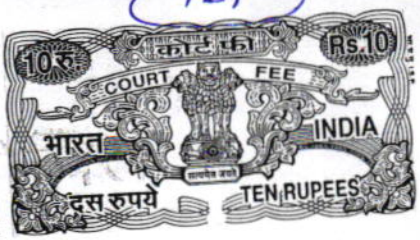

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर ~~केम्प सागर संभाग सागर~~

दयाराम तनय मुकुन्दी लाल लोधी , निग 3028-I/16

निवासी ग्राम मबई , तहसील जिला टीकंमगढ़ म0प्र0

.............आवेदक

वनाम

म0 प्र0 शासन .... अनावेदक

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 248/अ21/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 29/02/2012 से परिवेदित होकर कर रहा है, माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, लम्पुआ तनय जुग्गा अहिरवार नामक ब्यक्ति को नायब तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा अपने प्रकरण कमांक 4/अ—19/1981—82 में पारित आदेश दिनांक 15/11/1981 के द्वारा ग्राम मबई भाटा स्थित भूमि खसरा नंबर 67 , 68 , एवं 71 का पटटा प्रदान किया गया था। उपरोक्त भूमि वर्ष 1994—85 में पत्रावली कामांक 60/अ—19/1984—85 के द्वारा भूमि स्वामी अधिकार में लम्पुआ के नाम पर दर्ज हो गई थी। बर्तमान में लम्पुआ ला बल्द फौत हो चुका है।

3— यह कि उपरोक्त भूमि का लम्पुआ द्वारा दिनांक 22/05/2004 को रजिस्टर्ड बिकय पत्र आवेदक के पक्ष में प्रतिफल की राशि प्राप्त करके कर दिया। जिसके उपरांत आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया तथा तत्समय ही उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। जिस पर वह आज दिनांक तक काबिज चला आ रहा है।

4— यह कि उपरोक्त भूमि के संबंध में हल्कू नामक ब्यक्ति द्वारा एक शिकायत कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के समक्ष करने पर उनके द्वारा प्र0 क0 127/बी/121/2010—11 पंजीवद्व करके अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 23/01/2012 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पटवारी एवं तहसीलदार से जांच कराये बगैर, बगैर साक्ष्य अंकित किये मात्र शिकायतकर्ता के दस्तावेजों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3028 / I /2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **दयाराम लोधी वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5/9/16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 248/अ21/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 29/02/2012 से परिवेदित होकर कर की है, निगरानी के साथ सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक की ओर से बिद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं तथ्यों को दुहराया है, जो निगरानी आवेदनपत्र में लेख किये गये हैं। 2– आवेदक की ओर से अपनी निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया। म्याद कि बिन्दु पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर निगरानी करने में हुआ बिलंब माफ कर निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बताया कि लम्पुआ तनय जुग्गा अहिरवार नामक ब्यक्ति को नायब तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा अपने प्रकरण कमांक 4/अ–19/1981–82 में पारित आदेश दिनांक 15/11/1981 के द्वारा ग्राम मबई भाटा स्थित भूमि खसरा नंबर 67 , 68 एवं 71 का पटटा प्रदान किया गया था। उपरोक्त भूमि बर्ष 1994–85 में पत्रावली कामांक 60/अ–19/1984–85 के द्वारा भूमि–स्वामी अधिकार में लम्पुआ के नाम पर दर्ज हो गई थी। बर्तमान में लम्पुआ ला बल्द फौत हो चुका है। उपरोक्त भूमि का लम्पुआ द्वारा दिनांक 22/05/2004 को पटटा मिलने के 23 साल बाद रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र आवेदक के पक्ष में प्रतिफल की राशि प्राप्त करके कर दिया। जिसके उपरांत आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया तथा तत्समय ही उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया था। जिस पर वह आज दिनांक तक काबिज चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि के संबंध में हल्कू नामक ब्यक्ति द्वारा एक शिकायत कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के समक्ष करने पर उनके द्वारा प्र0 क0 127/बी/121/2010–11 पंजीवद्व करके अपने द्वारा पारित आदेश	

दिनांक 23/01/2012 के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पटवारी एवं तहसीलदार से जांच कराये बगैर, बगैर साक्ष्य अंकित किये मात्र शिकायतकर्ता के दस्तावेजों के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों को नजर अंदाज करके पारित आदेश दिनांक 23/01/2012 के द्वारा वादभूमि विधि विरूद्व तरीके से म0 प्र0 शासन के नाम पर दर्ज करने का आलोच्य आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त द्वारा भी आदेश दिनांक 29/02/2012 के द्वारा निरस्त कर दी। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की है।

4— आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं आलोच्य आदेशों का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पटवारी एवं तहसीलदार से किसी प्रकार का जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया ना ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों को किस आधार पर अमान्य किया कहीं स्पष्ट नहीं है। अधिनस्थ न्यायलाय द्वारा ना तो शिकायतकर्ता के कथन लिये ना ही आवेदक के कथन अंकित किये मात्र इस अधार पर आदेश पारित करके कि वाद भूमि पटटा भूमि है, इस कारण बिक्रय से प्रतिबंधित है स्वीकार करने योग्य नहीं है। वाद भूमि का बिक्रेता लॅम्पुआ ला बल्द फौत हो चुका है। उसकी मृत्यु के उपरांत आदेश पारित किया है जबकि वह प्रकरण में पक्षकार था। मृत ब्यक्ति के बिस्द्व आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। विधि एवं प्रकिया विहीन आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता है। वादभूमि का बिक्रय 23 साल उपरांत किया गया है, बिक्रय के सात साल बाद शिकायत के आधार पर कार्यवाही करना विधि विरूद्व है। शिकायतकर्ता प्रकरण में हितबद्व पक्षकार नहीं है। प्रकरण आवेदक एवं शासन के बीच का है। उपरोक्त तथ्य को अपर आयुक्त सागर द्वारा भी नजर अंदाज किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, बिचारण न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश प्र0 क0 127/बी121/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 23/01/2012 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/02/2012 निरस्त किये जाते हैं। आदेशित किया जाता है कि वाद भूमि पूर्ववत आवेदक के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज की जाबे। उभयपक्ष सूचित हों, प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य